न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 97 / 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 147

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
दीपक कुमार पुत्र खेमाराम जाति भील निवासी पतासर तहसील पचपदरा		1.जोगाराम पुत्र शंकरलाल 2.धर्माराम पुत्र खेमाराम जाति भील निवासी पतासर तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 3.गुडडी पुत्री राजू जाति भील निवासी पतासर तहसील पचपदरा 4.राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री बाबुलाल सांखला ,अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 01
3.विप्रार्थी संख्या 02 से 4 एकपक्षीय

(उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा)

आदेश

दिनांक 26.2.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी [illegible] पटवार हल्का बाणियावास तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 619 / 16 [illegible] क्षेत्रफल [illegible]562 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त [illegible] भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा ग्राम पतासर पटवार हल्का बाणियावास तहसील पचपदरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 21:14:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

की खेत खसरा संख्या 619/162 क्षेत्रफल 4.8562 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र गहलोत द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 की तरफ से वकालतनामा पेश किया तथा उक्त विप्रार्थी की ओर से जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 03 को जवाब पेश करने के 13 अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जानें पर जवाब बन्द किया गया। विप्रार्थी संख्या 02 व 4 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं हुए। विप्रार्थी संख्या 02 से 4 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें वकील प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 01 के वकील की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम पतासर पटवार हल्का बाणियावास तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 619/162 क्षेत्रफल 4.8562 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है,इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम पतासर पटवार हल्का बाणियावास तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 619/162 क्षेत्रफल 4.8562 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.वकील विप्रार्थी संख्या 01 की बहस है कि प्रार्थी की खातेदारी के सेढा सेढ विप्रार्थी की खातेदारी खसरा संख्या 561/161 क्षेत्रफल 3.6584 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। लेकिन विप्रार्थी की ओर से प्रार्थी की खातेदारी में कभी भी दखलदान्जी नहीं की गई है और न ही प्रार्थी की सेढ माढ को नुकसान पंहुचाया गया है। प्रार्थी आवेदन पत्र की आड़ में विप्रार्थी की खातेदारी भूमि को हड़प करने की नियत से हस्तगत प्रकरण पेश किया गया है। इस कारण प्रार्थी का आवेदन पत्र गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें तथा विप्रार्थी का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 561/161 की नेखमबंदी आदेश किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात एवं विवादित भूमि की सीमा[illegible]र्द का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। [illegible] कि ग्राम पतासर पटवार हल्का बाणियावास तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 619/162 क्षेत्रफल 4.8562 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न वि[illegible]त भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 21:14:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

है,जिसका प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :-

धारा 128 सीमा विवाद–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नही हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 08.01.2021 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है, ऐसी स्थिति में RLR ACT. की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं। वकील विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जाकर विप्रार्थी का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 561/161 की नेखमबंदी करने के आदेश कीया जावे। उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है,क्योंकि विप्रार्थी की भूमि के सेढा पड़ौसी प्रार्थी के अलावा अन्य तीन दिशाओं के सेढा पड़ौसी लगतें होगें,जो उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं है। ऐसी सूरत में विप्रार्थी का काउन्टर क्लेम अस्वीकार किया जाता है। लेकिन उक्त विप्रार्थी अपनी ओर से आवेदन–पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पतासर पटवार हल्का बाणियावास तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 619/162 क्षेत्रफल 4.8562 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करते हुए विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,उक्त [illegible] प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक [illegible] ता[illegible] मुकर्रर कर की जावे। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 21:14:17 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 26.02.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा